

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

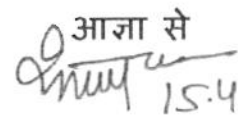
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / ९०१ / 2019 दिनांक : 15.04.2019

श्री महेन्द्र कुमार सिंहल (RJ0272), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, डूंगरपुर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं :-

1. दिनांक 22.04.2019 से 23.04.2019 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 21.04.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित ।
2. दिनांक 26.04.2019 से 27.04.2019 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 28.04.2019 से 29.04.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।

श्री सिंहल की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डूंगरपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, डूंगरपुर के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से
 15.4.19

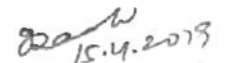
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/95/1996/3671

दिनांक : 15.04.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, डूंगरपुर को उनके पत्रांक 10/11 दिनांक 08.04.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री महेन्द्र कुमार सिंहल (RJ0272), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, डूंगरपुर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डूंगरपुर ।

 15.4.2019
सहायक रजिस्ट्रार